

UGC Approved
Jr.No.43053

आंतरराष्ट्रीय बहुभाषिक शोध पत्रिका

प्रिंटिंग एरिया

Printing Area International Interdisciplinary Research
Journal in Marathi, Hindi & English Languages
August 2017, Issue-32, Vol-09

Editor

Dr. Bapu g. Gholap

(M.A.Mar.& Pol.Sci.,B.Ed.Ph.D.NET.)

Co-Editor

Dr. Ravindranath Kewat

(M.A. Ph.D.)

Printed by: Harshwardhan Publication Pvt.Ltd. Published by Ghodke Archana
Rajendra & Printed & published at Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.,At.Post.
Limbaganesh Dist,Beed -431122 (Maharashtra) and Editor Dr. Gholap Bapu Ganpat.



Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.

At.Post.Limbaganesh,Tq.Dist.Beed
Pin-431126 (Maharashtra) Cell:07588057695,09850203295
harshwardhanpubli@gmail.com, vidyawarta@gmail.com

Reg.No.U74120 MH2013 PTC 251205

All Types Educational & Reference Book Publisher & Distributors / www.vidyawarta.com

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)

रहे इस क्षेत्र के हिंदू - मुस्लिम भाईचारे को कायम रखना और मिली - जुली तहजीब को बरकरार रखना जरूरी है। यहाँ की अवसरवादी राजनीति इसे खंड-खंड कर रही है। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी यहाँ शिक्षा-दीक्षा की हालात खराब है। विकास की दृष्टि से यह क्षेत्र कौंसो दूर है। नवशिक्षित युवा बेरोजगार है फलस्वरूप रोजी-रोटी के फिराक में ये लोग महानगरों की ओर विस्थापीत हो रहे है। कट्टर सांप्रदायिकता के चलते इस क्षेत्र के मेवाती समाज की सांस्कृतिक एकता छिन्न-भिन्न हो गयी है। हिंदू - मुस्लिम समुदायों में जो आपसी सद्भावना और पारस्परिक सौहार्द के सम्बन्ध थे उनमें आज बिखराव आया है। अर्थ के अभाव में पारिवारिक सम्बन्धों का विघटन हो रहा है वही दूसरी ओर नारी की स्थिति- गती भी शोचनिय है। उपन्यासकार ने इस उपन्यास में किसी व्यक्ति के बजाय संपूर्ण मेवात क्षेत्र और वहाँ के मेवाती समाज का यथार्थ चित्रण किया है।

संदर्भ सूची :-

- १) काला पहाड - भगवानदास मोरवाल - पृ. ५२
- २) काला पहाड - भगवानदास मोरवाल - पृ. ८६
- ३) काला पहाड - भगवानदास मोरवाल - पृ. ८७
- ४) काला पहाड - भगवानदास मोरवाल - पृ. २३६
- ५) काला पहाड - भगवानदास मोरवाल - पृ. ८७
- ६) काला पहाड - भगवानदास मोरवाल - पृ. ३६
- ७) काला पहाड - भगवानदास मोरवाल - पृ. ४०७
- ८) काला पहाड - भगवानदास मोरवाल - पृ. १६
- ९) काला पहाड - भगवानदास मोरवाल - पृ. ०९
- १०) काला पहाड - भगवानदास मोरवाल - पृ. ३०
- ११) काला पहाड - भगवानदास मोरवाल - पृ. २६०
- १२) काला पहाड - भगवानदास मोरवाल - पृ. ३७३
- १३) काला पहाड - भगवानदास मोरवाल - पृ. ४५५



www.विद्यवाती.कॉम

39

गठबंधन की राजनीति एवं लोकतंत्र का भविष्य

डॉ. डी. एन. सूर्यवंशी

प्राचार्य, सेठ आर.सी.एस. कला एवं वाणिज्य
महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

डॉ. प्रमोद यादव

सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग
सेठ आर.सी.एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय,
दुर्ग (छ.ग.)

प्रस्तावना :

भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसमें भारतीय संविधान द्वारा केन्द्रीय और राज्य स्तर पर संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। हमारे देश में पिछले २५ सालों से गठबंधन सरकार का दौर चल रहा था परन्तु २०१४ में सम्पन्न १६ वीं लोकसभा के चुनाव परिणामों ने इस पुराने मिथक को तोड़ दिया है। हमारे संविधान में चुनाव से पहले या बाद में गठबंधन बनाने के संदर्भ में कोई दिशा-निर्देश नहीं दिये गये हैं। नतीजन इस तरह के गठजोड़ से सरकार गठन के मौके पर और उसके बाद भी अनैतिक सौदेबाजियों का रास्ता खुलता है। भारत में गठबंधन की राजनीति इसलिए अस्तित्व में आई है कि भारतीय लोकतंत्र का मिजाज ही गठबंधनवादी है। देश की बहुलतावादी संस्कृति और विविधतावादी पहचान गठबंधन की राजनीति के तहत ही इसके लोकतंत्र में पूरी तरह परिलक्षित होती है। गठबंधन के चलते कई बार सरकार ने जिस तरह अनिर्णय और अस्थिरता की स्थिति बनती है, उन पर भी तुरंत ध्यान देना जरूरी है। चुनाव पश्चात् राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन के बारे में विस्तारित नियम-कायदे निर्धारित किये जाना चाहिए।

पृष्ठभूमि : भारत के संदर्भ में कहा जा सकता है कि यहाँ लोकतंत्र है। नेता हैं और राजनीतिक दल भी हैं, किन्तु विचारधारा का स्तंभ कमजोर होता

जा रहा है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसे प्रमुख राजनीतिक दल हों, या स्वयं को समाजवादी आन्दोलन का पर्याय मानने वाले दल। साम्यवादी विचारधारा के पैरोकार बने साम्यवादी दल हों, या विशुद्ध रूप से समाज में अगड़े-पिछड़े वर्गों में राजनीति करने वाली बहुजन समाज पार्टी हो। सत्ता तक पहुँच बनाने या सत्ता में बने रहने के लिए सभी दल अपनी विचारधारा को किनारे करने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। इन दलों के साथ जुड़े नेताओं का एक वर्ग ऐसा भी है, जिनके लिए विचारधारा तो क्या, दल भी कोई मायने नहीं रखता। वर्तमान समय में हो रहे लोकसभा या विधानसभा चुनावों में यह बात एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति में जो परिवर्तन का दौर चल रहा है, जिसमें किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण समझौते की राजनीति का जन्म हुआ है।

गठबंधन की राजनीति : गठबंधन की राजनीति मजबूत लोकतंत्र का प्रतीक नहीं, बल्कि लोकतंत्रीय मजबूरी है, क्योंकि इसमें स्वच्छ प्रतिस्पर्धा के स्थान पर “शह-मात और घात” की राजनीति में कार्य किया जाता है तथा संसदीय लोकतंत्र में गठबंधन एक परिस्थितिजन्य व्यवस्था है। कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहता है कि उसे गठबंधन की सरकारों का संचालन करना पड़े। राजनीति की यह बड़ी विडम्बना है कि जो सबसे बड़ा साझेदार है, वह विवश रहता है। उसके ऊपर छोटे घटकों का दबाव रहता है। पूर्व के वर्षों में जिस गठबंधन की सरकारों ने सत्ता का संचालन किया है, उनके विश्लेषण से यह आँकलन किया जा सकता है कि यदि गठबंधन का मजबूत नेतृत्व है तो वह सफलतापूर्वक सत्ता का संचालन कर पाता है। वहीं गठबंधन के कमजोर नेतृत्व से विकास के सारे मार्ग अवरूद्ध हो जाते हैं, क्योंकि उसकी सारी शक्ति केवल गठबंधन को बनाये रखने में ही रह जाती है। **गठबंधन का प्रभाव :** राजनीतिक दलों का यह गठबंधन सरकारों के निर्माण व उसकी रक्षा के लिए होता है। गठबंधन सरकार की मतभेदों के बावजूद एक समवेत स्वर होती गठबंधन सरकार यद्यपि ऊपर से ठोस प्रतीत होती है तथापि प्रत्येक राजनीतिक दल अपने राजनीतिक अस्तित्व को बनाये रखना चाहता है। अतः भीतर मतभेद के स्वर विद्यमान रहते हैं। यदि यह गठबंधन

चुनाव के पूर्व होता है, तो इसका लक्ष्य चुनाव में बहुमत प्राप्त कर सरकार का गठन करना होता है। इसमें अवसरवादिता का तत्व कम होता है और गठबंधन साथ-साथ काम करने का आधार बन जाता है किन्तु यहीं गठबंधन चुनाव के बाद होता है, तो उसमें अवसरवादिता का तत्व अधिक अंशों में विद्यमान होता है, जो गठबंधन को कमजोर कर देती है। गठबंधन सरकार में भागीदार दल समान विचारधारा के नहीं होते हैं न ही समानधर्मी होते हैं। अतः एक सुदृढ़ इकाई नहीं बन पाते हैं। राज्यों में गठबंधन सरकार का जन्म बार-बार दल बदल से होता है। इसीलिए इसमें गम्भीरता का अभाव दिखता है और यह प्रवृत्ति ही सरकार की असफलता और अंत का कारण बन जाती है। गठबंधन सरकार में प्रत्येक राजनीतिक दल अपने निहित स्वार्थों की रक्षा और पूर्ति में रत रहता है। अतः भीतरघात और तनाव की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं।

लोकतंत्र का भविष्य : सरकार विकास के लिए आवश्यक है। यह सर्वविदित है कि वर्ष १९९० में आर्थिक मंदी के कारण अमेरिका और यूरोप में कई देशों की वित्तीय अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। इसका मुख्य कारण उदारीकरण और खुले बाजार की नीति रही। भारत में वैश्विक मंदी की आँच बहुत अघि तक नहीं आई। गठबंधन सरकार की उदारीकरण की नीतियों का सहयोगी दलों ने समर्थन प्रदान किया। भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय संकट के कालचक्र में नहीं फँसने का मूल कारण गठबंधन का सरकार ही थी। एक दल का शासन होने पर किसी भी नीति को लागू करने का सरकार में अंतर्द्वंद नहीं होता, गठबंधन सरकार होने की वजह से सभी सहयोगी पार्टियों से विचार-विमर्श कर फैसले लिए जाते हैं। अर्थात् गठबंधन सरकारें एकाधिकारी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाती है। गठबंधन सरकारें जहाँ पूर्ण समन्वय एवं देशहित को ध्यान में रखकर चली है, वह सफल रही है। ऐसी सरकारों ने कई महत्वपूर्ण कार्य देशहित में किये हैं। गठबंधन सरकार के कार्यकाल में स्थिरता न होने से विकास प्रभावित होता है। इसका असर कई बार निवेश पर भी पड़ता है। ऐसी सरकार से न केवल आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और समसायिक विकास भी प्रभावित होता है। इसका मुख्य कारण सहयोगी

क्षेत्रीय पार्टियों के अपने-अपने मुद्दे होते हैं। उनके राजनैतिक एजेण्डे और सोच में अंतर होता है, जिसके कारण उनमें टकराव होना लाजमी है। वे अपने-अपने मुद्दों को लेकर खींचतान में लगे रहते हैं, उनको जनता का हित कम और अपना हित अधिक नजर आता है। इससे संसदीय प्रणाली का पालन कठिन हो जाता है। गठबंधन सरकार से आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है क्योंकि इससे हमेशा राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना रहता है। कारोबार को सही दिशा नहीं मिल पाती क्योंकि कारोबारियों को विश्वास नहीं होता है कि सरकार कब तक चलने वाली है, आर्थिक तंगी के दौर में मिलीजुली सरकार विकास की गति को धीमी कर देती है। जब किसी भी गठबंधन में व्यक्तिगत स्वार्थ एवं महत्वाकांक्षाएँ विभिन्न दलों में आ जाती है तो गठबंधन सरकारें विफल हो जाती है।

गठबंधन की सफलता हेतु सुझाव : गठबंधन का निर्माण तमाम साझेदार पार्टियों द्वारा संयुक्त लिखित करार के रूप में होना चाहिए, जिसे राष्ट्रपति/राज्यपाल को औपचारिक तौर पर सौंपा व सत्यापित कराया जाये। इस गठबंधन के नियोजित कार्य के अधीन कुछ विशिष्ट मामलों में खिलाफ वोट करने वाले तमाम साझेदार सदस्यों के अलावा सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय सदस्यों के भी सदस्यता स्वतः रद्द होने का प्रावधान हो। गठबंधन को बाहर से समर्थन देने वाले पार्टियों के मामले में भी यही प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। इसके साथ-साथ गठबंधन सरकार में निरंकुश प्रवृत्ति को रोकने के लिए हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि गठबंधन के साझेदार जहाँ पर जरूरी हो, वहाँ विरोध भी जता सकें। गठबंधन सरकार को भीतर अथवा बाहर से समर्थन देने वाले एक तिहाई सदस्य (निर्दलीय सदस्यों समेत) यदि राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रपति/राज्यपाल को पहले से सूचित कर सरकार के खिलाफ जाने का फैसला करते हैं तो उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जाना चाहिए। सत्ताधारी गठबंधन को समर्थन देने वाले निर्दलीय सांसदों/विधायकों की स्थिति के साथ उनके दायित्वों का भी स्पष्ट निर्धारण जरूरी है। एक जवाबदेह गठबंधन सरकार बनाने के क्रम में समर्थन देने वाले सभी निर्दलीय सांसद या विधायक इसके बारे में एक

लिखित करार करें, जिसकी एक प्रति राष्ट्रपति/राज्यपाल को सौंपी जाए। इससे मुद्दों पर आधारित समर्थन या न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर स्थिरता हासिल करने का लक्ष्य भी पूरा हो जायेगा।

निष्कर्ष : भारत में गठबंधन सरकार के अद्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि गठबंधन की सफलता उसमें शामिल घटक दलों के आचरण पर निर्भर करता है। इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए विवादास्पद मुद्दों को दरकिनार करना आवश्यक हो जाता है। घटक दलों का एकमात्र लक्ष्य सत्ता में भागीदारी न होकर शासन में गुणवत्ता सुनिश्चित करना होना चाहिए। क्षेत्रीय समस्याओं का उचित समाधान निकाला जाना आवश्यक है, पर उसे राष्ट्रहित से ऊपर नहीं रख जा सकता। ऐसी सरकार में सामूहिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सरकार में दलों को लोकसभा में उनकी संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। समग्र दृष्टि से आज गठबंधन की सरकार बनाने से पहले अपने राजनीतिक मूल्यों को अनिवार्यता प्रदान करना आवश्यक है, जिससे देश की जनता का विश्वास राजनीति के प्रति स्थिर रहे और राष्ट्र विकास में सहभागी बनें। इससे ही गठबंधन सरकारों को सफल बनाया जा सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

१. भालचंद गोस्वामी, भारत में चुनाव सुधार दशा और दिशा, वर्ष २०१६, पोइन्टर पब्लिकेशन, जयपुर पृ. १४३
२. इलेक्टोरल रिफार्म लैक ऑफ पोलिटिक्स विल, रामकृष्ण विकास पब्लिकेशन, नई दिल्ली, वर्ष २०१५, पृ. २०९
३. आर.पी.भल्ला, इलेक्शन इन इंडिया, प्रगति प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष २०१४ पृ. ८०
४. रिसर्च जर्नल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साइंसेस, अंक १६-१, गायत्री पब्लिकेशन, रीवा, वर्ष जून २०१४, पृ. १३७
५. उम्मेद सिंह इन्दा, संसदीय व्यवस्था में परिवर्तन की दिशा, कल्पज पब्लिकेशन, दिल्ली, वर्ष २०१०, पृ. ९६

□ □ □